MOST URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय जयपुर फोन नं. 0141–2227275, Email-seprd 123@gmail.com

प. 27 (36) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/बीएसआर सॉफ्टवेयर/2015–16/873 जयपुर दिनांक 8/5/15

जिला कलेक्टर एवं
अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषयः– बीएसआर सार्फ्टवेयर परिवहन एवं अन्य आईटमों की दर विश्लेषण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कि वर्ष 2015–16 की दर अनुसूची विभागीय बी.एस.आर. सार्फ्टवेयर से तैयार की जा रही है, जिसमें परिवहन के आईटमों के दर विश्लेषण भी सम्मिलित है। सॉफ्टवेयर विश्लेषण से परिवहन आईटमों की अनुसूची में सृजित दर व पूर्व प्रक्रियानुसार सृजित दरों में अन्तर अधिक दृष्टिगत हो रहा है एवं इससे यह विदित हुआ कि सार्फ्टवेयर से सृजित दर अधिक है

परिवहन के आईटमों की दर विश्लेषण का परीक्षण/जॉच कार्य विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। इसके साथ ही जिलों की मांग व प्राप्त अन्य नवीन आईटमों के दर विश्लेषण के गुणांकों का निर्धारण व सॉफ्टवेयर में जोडे जाने का कार्य विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में दिनांक 29 व 30 अप्रेल 2015 को इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित अधिशाषी/सहायक अभियन्ताओं की कार्यशाला में विस्तार से चर्चा के अनुसार वर्तमान निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा चुका है।

1. परिवहन के आईटमों की दर की गणना पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया (विभागीय पत्रांक एफ 8(1) ग्रावि/जीकेएन/2007 दिनांक 30.10.2007 के द्वारा एक्सल फारमेट में दर विश्लेषण) के अनुसार विश्लेषण तैयार कर काम मे लिया जावे।
2. जिन पंचायत समितियों में परिवहन की दरें फाईनल कर ली गयी है, उनकी बिन्दु संख्या 1 के अनुसार पुनः तुलना की जाने एवं दरें अधिक पाई जाने पर पूर्व अनुमोदित दरों पर रोक लगा दी जावे तथा कम दरों के अनुसार भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जावे।
3. बीएसआर सॉफ्टवेयर में वर्णित आईटमों के अलावा अन्य आईटमों की दर अनुसूची भी पूर्व प्रक्रियानुसार ही विश्लेषण तैयार कर अनुमोदित की जावें।
4. जिलों से प्राप्त सूचना/जानकारी पर सॉफ्टवेयर दर विश्लेषण में कुछ आईटमों के गुणाक आदि में परिवर्तन/संशोधन भी किया गया है। अतः दर अनुसूची व अन्य रिपोर्ट का नवीन प्रिंट लेकर उसकी पूर्व अनुमोदित बीएसआर से तुलना की जावे एवं दोनो दरों में से जो भी न्यूनतम दर हो, उसी को लागु किया जावे।

भवदीय,

(जी.एल माथुर)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास

OP. Sharma / Drive /BSR letter doc.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

अधिक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

OP. Sharma / Drive /BSR letter doc.